न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 24/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/255

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कानाराम पुत्र घीसाराम जाति घांची निवासी पाली दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद सिंह।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/10/2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम सोजत चक II के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3079 दिनांक 14.09.2014 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सोजत चक II में आयी हुई है, जिसके खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.6900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं 1109 रकबा 0.4800 हैक्टर कुल रकबा 1.1700 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। उक्त आराजी के पड़ोसी खातेदार प्रणवीरसिंह पुत्र आन्नदसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र जेठुसिंह, अमरचंद पुत्र अचलाराम, पन्नालाल उर्फ पुनिया पुत्र घेवर मेघवाल ने अपीलाण्ट के खिलाफ सिविल वाद प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1108, 1109 में से रास्ता चाहने बाबत प्रस्तुत किया, जिसमें उभयपक्ष में राजीनामा होने से अपीलाण्ट ने तहसीलदार सोजत के समक्ष रास्ते की भूमि के लिए सरेण्डर नामा पेश किया तथा पडौसी खातेदार ने राजीनामे अनुसार बेचाननामा अपीलाण्ट के पक्ष में तहरीर व तकमील करवाया जिसका म्युटेशन नम्बर 3080 दिनांक 14.9.2014 भरा गया। इसी प्रकार अपीलाण्ट के द्वारा जो सरेण्डर नामा तहरीर व तकमील किया गया, उसके म्यूटेशन नम्बर 3079 दिनांक 14.09.2014 भरा गया। उक्त सरेण्डर नामा से अपीलाण्ट की जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 1108 के बीच से रास्ता निकलने के कारण भूमि दो भागो में विभाजित हो गया। जिस

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कारण उक्त खसरा नम्बर 1108 के तीन टूकड़े हो गये, जिसका एक भाग उत्तर दिशा में, दूसरा भाग रास्ता व तीसरा भाग दक्षिणी दिशा में है। जैर अपील आराजी के बीच में से रास्ता निकलने के कारण उक्त आराजी के तीन भागो में विभाजन होने से जैर आराजी के तीन बट्टा नम्बर होने चाहिए थे लेकिन जैर अपील आराजी में मूल आराजी जो रास्ते की भूमि के दक्षिण दिशा में है उसके खसरा 1108 एवं रास्ते की भूमि के बट्टा नम्बर 1108/1 दर्शित किया गया एंव रास्ते के उत्तर दिशा की भूमि जो मूल खसरा नम्बर 1108 का ही हिस्सा है उसे भी रास्ते की भूमि में दर्ज कर दिया, जो अपीलाण्ट के कब्जे में है और उस पर तारबंदी कर रखी है। ऐसे में रास्ते की उत्तर दिशा की आराजी को बट्टा नम्बर 1108/2 होकर अपीलाण्ट के हक में नामान्तरकरण भरा जाना चाहिए था। लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा सरेण्डर नामा के अनुसार नामान्तरकरण न भरा जाकर मन माने तरीके से नामान्तरकरण भर कर रास्ते की उत्तर दिशा की आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज कर दी जो नियम विरूद्ध है। अतः जैर अपील स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा रास्ता सरेण्डर करने से जैर अपील आराजी के तीन टूकड़े हो गये तथा अपीलाधीन नामान्तकरण दायर होने के पश्चात जैर आराजी की भूमि में कोई कमी नहीं हुई है। जैर आराजी में रास्ते के उत्तर दिशा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1108 की ही है, जिसके बट्टा नम्बर दर्ज नहीं हुआ है। अतः यदि जैर आराजी में रास्ते के उत्तर दिशा में स्थित भूमि का माफिक सरेण्डर नामा अनुसार नामान्तरकरण दायर किया जाकर नया बट्टा नम्बर दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेण्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सोजत चक II के नामान्तरकरण संख्या 3079 दिनांक 14.09.2014 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सोजत चक II में आयी हुई है, जिसके खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.6900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं 1109 रकबा 0.4800 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। उक्त आराजी के पड़ौसी खातेदार प्रणवीरसिंह पुत्र आन्नदसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र जेठुसिंह, अमरचंद पुत्र अचलाराम, पन्नालाल उर्फ पुनिया पुत्र घेवर मेघवाल ने अपीलाण्ट के खिलाफ सिविल वाद प्रस्तुत किया जिसमें उभयपक्ष ने न्यायालय के समक्ष लोक भावना से राजीनामा पेश किया जिसमें अपीलाण्ट कानाराम ने निम्न पड़ोसीयो के बीच की कृषि भूमि का सार्वजनिक रास्ते के उपयोग हेतु सरेण्डरनामा सरकार के पक्ष में किया जिसकी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

चतुर्दशी निम्नानुसार है–उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1108 व 1109 की भूमि, दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1107 व 1108 की भूमि, पुर्व दिशा में खसरा नम्बर 1100 एवं महेन्द्रसिंह की कानाराम को बेचान की गई कृषि भूमि तथा पश्चिम दिशा में रास्ता खसरा संख्या 1106 आया हुआ है। उक्त राजीनामा एवं सरेण्डर नामा अनुसार अपीलाण्ट की जैर खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1108 के मध्य में से रास्ता निकलने के कारण जैर आराजी तीन भागों में विभाजित हो गयी तथा उक्त सरेण्डर नामा अनुसार जैर आराजी का नामान्तरकण दायर करते समय तीनों भागों के अलग–अलग बट्टा नम्बर दर्ज होने चाहिये था लेकिन हस्तगत प्रकरण में मूल खसरा के नम्बर यथावत 1108 तथा रास्ते की भूमि का खसरा नम्बर 1108/1 दर्ज किया। सरेण्डरनामा अनुसार रास्ते के उत्तर दिशा में स्थित भूमि को अपीलाण्ट की खातेदार दर्ज न कर, रास्ते की भूमि में समाहित कर दिया अर्थात् खसरा नम्बर 1108 के दो भाग राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 1108 की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी एवं खसरा नम्बर 1108/1 की भूमि रास्ते की भूमि दर्ज कर दी। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं सरेण्डरनामा, नजरी नक्शा तथा ग्राम सोजत II के राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.6900 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते हेतु भूमि 0.0200 हैक्टेयर दर्ज कर, उसी के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में नक्शे में इन्द्राज करना था लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा न कर रास्ते की भूमि के उत्तर दिशा में स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि को रास्ते में समाहित कर सिवायचक दर्ज कर दिया, जिससे अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित हुये है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सोजत चक II के नामान्तरकरण संख्या 3079 दिनांक 14.09.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली